

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम०के०सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक ४७३/१९९५ विरुद्ध आदेश दिनांक
 १३-२-१९९५ - पारित - द्वारा - आयुक्त, चम्बल संभाग,
 ग्वालियर - प्रकरण क्रमांक २०/१९९२-९३ निगरानी

- 1- हेमन्त 2- मनीष कुमार 3- बेबू
 तत्समय तीनों अवयवक पुत्रगण स्व० नवलकिशोर
- 4- कु० गिरजा 5- कु० नीतू 6- कु० मैना
- 7- कु०बीनी चारों तत्समय अल्पवयवाक पुत्रीयों
 स्वर्गीय नवलकिशोर संरक्षक भौं दमयन्ती वाई
- 8- श्रीमती दमयन्ती वाई पत्नि स्व. नवलकिशोर
- 9- महिला चब्दकान्ता पुत्री स्व० विजयशेंकर धाकड़
- 10- महिला मोहनी पुत्री स्व० विजयशेंकर धाकड़
- 11- महिला गुडडी उर्फ मुझी पुत्री स्व० विजयशेंकर धाकड़
 निवासी ग्राम अजापुरा तहसील श्योपुर कलौ

--आवेदकगण

विरुद्ध

म०प्र०शासन द्वारा कलेक्टर श्योपुर कलौ

--अनावेदक

(आवेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री ए०के०अग्रवाल)
 (शासन की ओर से पैनल लायर श्री अनिल श्रीवास्तव)

आ दे श

(आज दिनांक ४ - ६. - २०१६ को पारित)

आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक
 १६/१९९२-९३ निगरानी में पारित आदेश दिनांक १३-२-१९९५
 के विरुद्ध यह निगरानी म०प्र० कृषि खातों की अधिकतम सीमा
 अधिनियम १९६० की धारा ४२ के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

(M)

ग्रृष्ण

2/ प्रकरण का सारोंश यह है कि सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) श्योपुर के न्यायालय में धारक के विरुद्ध म0प्र0 कृषि आतों की अधिकतम सीमा अधिनियम 1960 (आगे जिसे अधिनियम सम्बोधित किया गया है) के अंतर्गत प्रकरण क्रमांक 3/ 77-78 अ 90 बी (3) पंजीबद्व किया गया तथा धारक द्वारा धारित भूमियों की जांच कर आदेश दिनांक 29-4-82 पारित करके धारक को 54 एकड़ सूखी भूमि की पात्रता देते हुये 54-48 एक भूमि अतिशेष घोषित की गई। इस आदेश के विरुद्ध अपर कलेक्टर श्योपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर प्र.क. 24/81-82 अपील में पारित आदेश दि. 14-12-83 से सक्षम अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया तथा प्रकरण सिविल न्यायालय की डिक्री क्रमांक 135/71 ई0दी0 अनुसार मृतक विजयशंकर के वारिसान को धारक मानते हुये सुनवाई करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर ने तदनुसार कार्यवाही कर मृतक विजयशंकर के वारिसान के विरुद्ध प्रकरण क्रमांक 2/1984-85 अ 90 बी (3) पंजीबद्व किया तथा आदेश दिनांक 11-6-86 पारित करके 19.786 एकड़ भूमि अतिशेष घोषित की। इससे दुखी होकर महिला गुलाब पत्नि स्वर्गीय विजय शंकर, नवल किशोर पुत्र विजयशंकर, ब्रजमोहन पुत्र विजयशंकर, चन्द्रकान्ता पुत्र विजयशंकर, मोहिनी पुत्री विजयशंकर, गुडडी उर्फ मूडी पुत्री विजय शंकर ने अपर कलेक्टर श्योपुर के समक्ष अपील क्रमांक 35/ 85-86 प्रस्तुत की जो आदेश दिनांक 30.1.88 से भूमि की गणना करते हुये 19.776 एकड़ के स्थान पर 14.484 एकड़ सूखी भूमि अतिशेष की एंव अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के शेष भाग को यथावत् रखते अपील समाप्त कर दी। इस आदेश के

(M)

1/

विरुद्ध आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 16/1992-93 निगरानी में पारित आदेश दि० 13-2-1995 से अपील अस्वीकार की गई। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक एवं शासन के पैनल लायर के तर्क सुने गये तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि भूमि सर्वे क्रमांक 116 रक्बा 38 वीघा 15 विसवा, सर्वे क्रमांक 54 रक्बा 52 वीघा 10 विसवा एवं सर्वे क्रमांक 116/1 मिन 2 भाग 1 का रक्बा 4.128 तथा सर्वे क्रमांक 197 के मिन रक्बा 3 वीघा 14 विसवा और सर्वे क्रमांक 294 के मिन रक्बा 4 वीघा 19 विसवा कुल 32 वीघा भूमि महिला कानी के खातों में से ग्राम अजापुर के भूमि सर्वे क्रमांक 54 में से मिन रक्बा 4.800 एवं पुराने नंबरों से निर्मित नया नंबर 1051 मिन 2 भाग रक्बा 1.484 मृतक धारक के वारिसान को धारा 9 कृषि सीलिंग अधिनियम के अंतर्गत अतिशेष घोषित नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को निरस्त किया जावे।

5/ विद्वान अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर के आदेश दिनांक 13-2-95, अपर कलेक्टर श्योपुर के आदेश दिनांक 30-1-88 तथा सक्षम अधिकारी के प्रकरण क्रमांक 2/1984-85 अ 90 बी (3) में पारित आदेश दिनांक 1.1-6-86 का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। प्रकरण के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अपर कलेक्टर श्योपुर के अपील प्रकरण क्रमांक 24/81-82 में पारित आदेश दिनांक 14-12-83 से प्रकरण प्रत्यावर्तित होकर सक्षम अधिकारी

(JN)

1/1

(अनुविभागीय अधिकारी) श्योपुर के न्यायालय में वापिस पहुंचा, तब उनके द्वारा मृतक विजयशॉकर के सभी वारिसान के विरुद्ध एक हीप्रकरण दर्ज कर कार्यवाही विचारित की है चुनील कुमार विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी एंव कलेक्टर मन्डसौर 1981 रा०नि० 200 का न्यायिक दृष्टांत है कि पुनरीक्षण के लम्बित रहते यदि धारक की मृत्यु हो जाती है तो प्रकरण समाप्त करके उसके उत्तराधिकारियों के विरुद्ध नवीन सिरे से कार्यवाही की जावेगी, परन्तु सक्षम अधिकारी श्योपुर ने मृतक धारक विजय शॉकर के सभी वारिसान के विरुद्ध एक ही प्रकरण में कार्यवाही विचारित की है जबकि प्रत्येक वयस्क धारक के विरुद्ध प्रथक से प्रकरण कायम करके कार्यवाही करना चाहिये थी। इस प्रकार सक्षम अधिकारी की कार्यवाही प्रारंभ से ही घोषित है।

6/ सक्षम अधिकारी के आदेश दिनांक 11-6-86 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने मृतक विजय शॉकर धाकड़ के वारिसानों के विरुद्ध प्रकरण अवश्यक पंजीबद्ध किया है परन्तु सकल भूमि मृतक विजय शॉकर की मानते हुए उसमें से मृतक के वारिसान की पात्रता निर्धारित करके भूमि अतिशेष घोषित की है एंव इन्हीं तथ्यों के ओत-प्रोत अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 30-12-88 है। महारानी विरुद्ध म0प्र0राज्य 1977 रा०नि० 245 तथा पानावाई विरुद्ध म0प्र0राज्य 1977 रा०नि० 105 के न्यायिक दृष्टांत हैं कि मृतक धारक के समस्त वारिसान बराबर बराबर हिस्सा के उत्तराधिकारी होंगे एंव समस्त बैध उत्तराधिकारी समान हिस्सा प्राप्त करेंगे, तदुपरांत प्रत्येक उत्तराधिकारी के विरुद्ध अधिनियम के अधीन प्रकरण कायम कर उच्चतम सीमा अधिनियम के अधीन कार्यवाही विचारित होगी। परन्तु विचाराधीन प्रकरण में सक्षम अधिकारी ने

(M)

8/

नियमानुसार कार्यवाही नहीं की है जिसके कारण सक्षम अधिकारी के आदेश दिनांक 11-6-86 एंव अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 30-12-88 तथा आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर पारित आदेश दि0 13-2-1995 दोषपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।


7/ अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 30-12-88 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने आदेश में विवेचित किया है कि नवल किशोर के हित में स्वत्व घोषणा की पारित डिकी की छानवीन करने हेतु सक्षम अधिकारी सक्षम हैं। धारा 5 में ऐसे सभी अंतरण पर प्रतिबंध लगाया गया है चाहे वह व्यवहार व्यायालय की डिकी हो अथवा अन्य किसी बैध प्राधिकार के पंच निर्णय अथवा आदेश के निष्पादन में होने वाला विक्य हो। विचाराधीन प्रकरण में व्यवहार व्यायालय की डिकी क्रमांक 135/7। ई0दी0 पर विचार कर इसे धारक की भूमि में सम्मिलित होना माना है, जबकि अधिनियम की धारा 11 के अनुसार एंव हबीब खाँ विरुद्ध भ0प्र0राज्य 1983 रा0नि0 441 में व्यवस्था दी गई है कि व्यवहार व्यायालय की आज्ञप्ति सक्षम प्राधिकारी पर बंधनकारी है। परन्तु सक्षम अधिकारी श्योपुर ने आदेश दिनांक 11-6-86 पारित करते समय इनकी अनदेखी की है।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 16/1992-93 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13-2-1995, अपर कलेक्टर श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 35/85-86 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-1-88 तथा सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/1984-85 अ 90 (बी-3) में पारित आदेश दिनांक 11-6-86 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एंव निगरानी

(M)

16

स्वीकार की जाकर प्रकरण सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) श्योपुर की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि मूल धारक के सभी वारिसान एंव मूल धारक द्वारा धारित की गई समस्त भूमियों के वर्तमान अभिलिखित भूमिस्वामियों को रिकार्ड पर लिया जाय तथा उनके विरुद्ध प्रथक प्रथक प्रकरण कायम कर समस्त हितबद्धों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिवत् आदेश पारित किया जाय।



(एमरुकेंसिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्यप्रदेश ग्वालियर